

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 735/2022

अनवान : -

1. हसंराज पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
2. कौशल्या पत्नि अमरसिंह जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. जमना पत्नि चेताराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. बलवीर पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. भादरराम पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. राकेश पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. लिच्छमण पुत्र सगराराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर
8. सन्तलाल पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 08/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता सं. 194/212 के ख.न. 14 की 21.7780 हैक्टर खन. 311 की 3.6940 हैक्टर ख.न. 355 की 0.8850 हैक्टर कुल 26.3570 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा कास्तक के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता सं. 194/212 के ख.न. 14 की 21.7780 हैक्टर खन. 311 की 3.6940 हैक्टर ख.न. 355 की 0.8850 हैक्टर कुल 26.3570 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री प्राप्त कर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

अधिवक्ता
नोहर

Rahul

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता सं. 194/212 के ख.न. 14 की 21.7780 हैक्टर ख.न. 311 की 3.6940 हैक्टर ख.न. 355 की 0.8850 हैक्टर कुल 26.3570 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 हंसराम पुत्र सुखराम जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार ख०न० 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 सन्तलाल पुत्र सुखराम जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार ख०न० 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 3 बलवीर पुत्र चेताराम जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार रहन एचडीएफसी बैंक लि० शाखा रावतसर, राकेश पुत्र चेताराम जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर ख०न० 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 4 लिछमण पुत्र सगराराम जाति जाट सा० श्योराणी खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर — ख०न० 311 रकबा 3.6940 व ख०न० 355 रकबा 0.8850 कुल 4.579 हैक्ट बारानी प्रथम
- 5 कृष्णलाल पुत्र इन्द्राज जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार, कौशल्या पत्नी अमरसिंह जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि० शाखा चक सरदारपुरा, भादरराम पुत्र इन्द्राज जाति सुथार सा० खरसण्डी खातेदार बहिबं — ख०न० 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 735/2022

अनवान : -

1. हंसराज पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
2. कौशल्य पत्नि अमरसिंह जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. जमना पत्नि चेताराम जाति सुधार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. बलवीर पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. भादरराम पुत्र इन्द्राज जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. राकेश पुत्र चेताराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. लिछमण पुत्र सगराराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर
8. सन्तलाल पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 735 सन 2022 निर्णय दिनांक 08/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता सं. 194/212 के ख.न. 14 की 21.7780 हैक्टर ख.न. 311 की 3.6940 हैक्टर ख.न. 355 की 0.8850 हैक्टर कुल 26.3570 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 हंसराम पुत्र सुखराम जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार ख0न0 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 सन्तलाल पुत्र सुखराम जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार ख0न0 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 3 बलवीर पुत्र चेताराम जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार रहन एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा रावतसर, राकेश पुत्र चेताराम जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर ख0न0 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम
- 4 लिछमण पुत्र सगराराम जाति जाट सा0 श्योराणी खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर - ख0न0 311 रकबा 3.6940 व ख0न0 355 रकबा 0.8850 कुल 4.579 हैक्ट बारानी प्रथम
- 5 कृष्णलाल पुत्र इन्द्राज जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार, कौशल्य पत्नी अमरसिंह जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार रहन आईडीबीआई बैंक लि0 शाखा चक सरदारपुरा, भादरराम पुत्र इन्द्राज जाति सुथार सा0 खरसण्डी खातेदार बहिब - ख0न0 14 में से 5.4445 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर